

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सावरिया मिनरल बनाम भागीलाल

रजिस्टर मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 349/2021/536

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्राथी श्री / श्रीमती सावरिया मिनरल खोदा रोड मालीपुरा
 लक्ष्मी लाल शर्मा आगी रार कमलेश कुमार
 पिता श्री शाके लाल शाकड एव रजिनेश कुमार पिल लुगलाल शर्मा

निवासी- तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1656, 1657, 1658
 989, 990, 991
 बिलीया (पण्ड-मगरी) 1659, 1664, 1665, 994, 1660, 1661, 1662, 1663
 992, 992, 994, 1651, 989, 990, 991, 992

कुल कीता 11 कुल रकबा 0.7525 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्राथी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्राथी की ग्राम बिलीया स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1656/989, 1657/990, 1658/991, 1659/992, 1664/992, 1665/994, 994/1651, 1660/989, 1661/990, 1662/991, 1663/992

कुल कीता 11 रकबा 0.7525 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्राथी वहन करेगा। शुल्क 500000 रूपये अक्षरे पत्थर मिनरल प्राथी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(ब्रह्म सुन्दर सिन्नेह)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)